हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

हुक्म की तामील में जारी हुये

बमुख दुर्गाप्रसाद ५८ मुन्शी

मुकदमा नम्बर 11/18 डाक

28/5/18 आज यह पत्रावली राजस्व के अन्तर्गत अतिक्रमण पत्र आपके द्वारा कोर्ट सदापुर में पेश हुई। पश्चात् हाजिर समन्स की गयी। वादीगण द्वारा यह वाद विवादित आराजी ख.न. 373 रकबा 2 बी. 8 बिस्वा स्थित ग्राम पारई तहसील राजाखेड़ा पर खसरा के 1/2 हिस्से का बटेशर आदि बताते हुए प्रतिवादीगण श्रेष्ठ 1 से 11 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने के लिए पेश किया है कि कथन किया है कि उक्त इस आराजी से पहले सम्बन्ध में सरोकार नहीं है लेकिन वे पक्षकार इस आराजी पर निर्माण कार्य करना चाहते हैं। मौके पर होना पश्चात् अन्य तथ्य समन्स की गयी तथ्य दावा इस प्रकार से डिक्री किया पड़ा है।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण इस निर्देश के साथ डिक्री किया पड़ा है कि विवादित आराजी की मौके पर ख.न. 373 रकबा 2 बी. 8 बिस्वा की पैमाइश कराई जावे तथा प्रतिवादीगण के ख.न. 374 की भी पैमाइश कराई जावे। सीमाज्ञान कराकर सीमा चिन्ह अंकित किये जावे। सीमाज्ञान के उपरान्त प्रतिवादीगण श्रेष्ठ 1 से 11 को चाहिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे कार्य में हस्तक्षेप न करे व कोई कच्चा पक्का निर्माण न करें। पत्रावली पीठासीन द्वारा पत्रावली पेशकार मुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। इकरार सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)